

बिहार सरकार  
कृषि विभाग

पत्र सं०-3/कृ०बजट-आवंटन-32/2013- 116 (आवंटन) /कृ०, पटना, दिनांक: 20-08-2013

Fax/Mail प्रेषक,

रामजी सिंह,  
सरकार के संयुक्त सचिव।

सेवा में,

संयुक्त कृषि निदेशक, (पाट),  
बिहार, पूर्णियाँ।

विषय: केन्द्र प्रायोजित जूट टेक्नोलॉजी मिशन के अधीन मिनी मिशन-II का वित्तीय वर्ष, 2013-14 में 58.15 लाख रु० (अन्दावन लाख पन्द्रह हजार रु०) (केन्द्रांश-50.21 लाख रु०, राज्यांश 7.94 लाख रु०) की लागत पर योजना कार्यान्वयन की स्वीकृति के फलस्वरूप व्यय हेतु कुल ₹58,15,000 (अन्दावन लाख पन्द्रह हजार रु०) मात्र की राशि का आवंटन।

महाशय,

उपर्युक्त विषयक विभागीय स्वीकृत्यादेश संख्या-3904, दिनांक-06.08.2013 द्वारा केन्द्र प्रायोजित जूट टेक्नोलॉजी मिशन के अधीन मिनी मिशन-II का वित्तीय वर्ष, 2013-14 में 58.15 लाख रु० (अन्दावन लाख पन्द्रह हजार रु०) (केन्द्रांश-50.21 लाख रु०, राज्यांश 7.94 लाख रु०) की लागत पर योजना कार्यान्वयन की स्वीकृति हुई है। व्यय हेतु कुल ₹58,15,000 (अन्दावन लाख पन्द्रह हजार रु०) मात्र की राशि आवंटित की जाती है।

2. उपरोक्त केन्द्रांश मद में स्वीकृत ₹50,21,000 (पचास लाख ईक्कीस हजार रु०) मात्र का व्यय बजटशीर्ष-2401-फसल कृषि कर्म, लघुशीर्ष-108-वाणिज्यिक फसलें, मांग संख्या-1, उपशीर्ष-0617-जूट टेक्नोलॉजी मिशन, विशेष जूट विकास कार्यक्रम, विपत्र कोड-C2401001080617, विषयशीर्ष-33 01-सब्सिडी, के अंतर्गत वित्तीय वर्ष, 2013-14 में उपबंधित 180.00 लाख से विकलनीय होगा।

3. राज्यांश मद में स्वीकृत ₹7,94,000 (सात लाख चौरानवे हजार रु० मात्र) का व्यय बजटशीर्ष-2401-फसल कृषि कर्म, लघु शीर्ष-108-वाणिज्यिक फसलें-मांग सं०-1-उपशीर्ष-0117-जूट टेक्नोलॉजी मिशन-(विशेष जूट विकास कार्यक्रम) विपत्र कोड P-2401001080117, राज्य योजना स्कीम कोड-AGR-5021, विषयशीर्ष-33 01-सब्सिडी के अंतर्गत वित्तीय वर्ष, 2013-14 में उपबंधित ₹20,00,000 लाख रु० से विकलनीय होगा।

4. यह राशि वित्त विभाग के पत्रांक-2561 वि० (2) दिनांक-17.04.98 एवं पत्रांक-7857 दिनांक-31.07.2013 के आलोक में दी जा रही है।

5. इस योजना के स्वीकृत्यादेश में निहित शर्तों/निर्देशों के आलोक में ही निकासी एवं व्यय किया जाय, जिसकी पूर्ण जिम्मेवारी निकासी एवं व्ययन पदाधिकारी की होगी।

6. व्यय के तुरंत बाद टी०भी० नं० के साथ व्यय विवरणी अधोहस्ताक्षरी को निश्चित रूप से उपलब्ध करा दी जाय।

विश्वासभाजन  
(रामजी सिंह)

सरकार के संयुक्त सचिव।

/कृ०, पटना, दिनांक 20-08-2013

ज्ञापक

116 (आवंटन)

प्रतिलिपि : महालेखाकार, बिहार, पटना को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्रवाई हेतु प्रेषित।  
2. संबंधित कोषागार पदाधिकारी को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्रवाई हेतु प्रेषित।

सूचना

(रामजी सिंह)  
सरकार के संयुक्त सचिव।

ज्ञापांक


116 (आपटन)

/कृ०, पटना, दिनांक 20-08-2013

प्रतिलिपि : वित्त विभाग बिहार पटना/कृषि निदेशक, बिहार, पटना/निदेशक, (पी०पी०एम०), बिहार, पटना/निदेशक, भूमि संरक्षण, बिहार पटना/संयुक्त कृषि निदेशक (योजना) कृषि विभाग, बिहार पटना/उप कृषि निदेशक (प्रसार)-सह-निकासी एवं व्ययन पदाधिकारी, कृषि विभाग/कृषि निदेशालय, बिहार, पटना/संबंधित प्रमंडलीय आयुक्त/संबंधित जिलाधिकारी/संबंधित जिला कृषि पदाधिकारी/प्रशाखा पदाधिकारी योजना (सचिवालय/निदेशालय), कृषि विभाग, बिहार, पटना को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्रवाई हेतु प्रेषित।

2. उप कृषि निदेशक, (सूचना), बिहार, पटना/आई० टी० मैनेजर, कृषि विभाग, बिहार, पटना को विभागीय वेबसाईट पर डालने एवं संबंधित पदाधिकारी को ई-मेल करने हेतु प्रेषित।

सुभा



सरकार के संयुक्त सचिव।